

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ संकल्प ॥

विषय:- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा-नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने के पश्चात् अनुशंसा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन।

राज्य में लगभग दो दशक से विकास एवं सामाजिक गतिविधियों के विभिन्न आयामों में हुए अत्यधिक विस्तार के कारण राज्य के सभी विभागों एवं कार्यालयों में कार्य बोझ काफी बढ़ गए हैं पर उस अनुपात में विभिन्न पदों पर उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसी नियुक्ति एजेंसियाँ नियमित नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन करने में सफल नहीं रही हैं। फलतः राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार अल्पावधि के लिए विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन किये गये हैं। आवश्यकतानुसार ऐसे संविदा नियोजन को नया एकरानामा कराते हुए समय-समय पर अवधि विस्तार दिया जाता रहा है;

2. संविदा के आधार पर ऐसे नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस हेतु निर्गत संकल्पों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा सरकार के अनुमोदन से निर्गत विभिन्न संकल्पों के आलोक में किये गये हैं। उक्त संकल्पों के प्रावधानों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित अधिकांश कर्मी लंबे समय से नियमित रूप से सृजित पदों पर अपनी सेवायें दे रहे हैं और उनके द्वारा अपनी सेवायें नियमित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में मांग किया जाता रहा है;

3. सम्प्रक विचारोपरांत राज्य सरकार एतद द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित ऐसे कर्मियों के नियमितिकरण के मामलों की, बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित), बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित), संबंधित पदों की नियुक्ति संबंधी नियमावलियों एवं इस संबंध में पारित किसी अन्य न्यायनिर्णयों एवं राज्य में लागू आरक्षण प्रावधानों के आलोक में जाँच कर उनकी सेवा-नियमितिकरण के लिए अनुशंसा करने हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय समिति तुरंत के प्रभाव से गठित करती है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---------|
| (1) | भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव
से अन्यून पंक्ति का सेवानिवृत्त पदाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| (2) | प्रधान सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| (3) | प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग | - | सदस्य |

(4)	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	—	सदस्य
(5)	प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग	—	सदस्य
(6)	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग	—	सदस्य
(7)	सचिव, विधि विभाग	—	सदस्य
(8)	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	—	सदस्य—सचिव।

4. समिति राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर नियोजित होकर कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों की सेवा—नियमितिकरण के मामलों की, बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय—समय पर यथा संशोधित), बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय—समय पर यथा संशोधित), संबंधित पदों की नियुक्ति संबंधी नियमावलियों एवं इस संबंध में पारित किसी अन्य न्यायनिर्णयों तथा राज्य में लागू आरक्षण प्रावधानों के आलोक में, जाँच करेगी। समिति विभिन्न कोटि के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियोजन की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों के अनुपालन की भी जाँच करेगी और संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा—नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने के पश्चात् अपनी अनुशंसा 3 (तीन) माह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3 / एम- 19 / 2015 साठप्र० / पटना-15, दिनांक-.....2015

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय/वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा) को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-3 / एम- 19 / 2015 साठप्र० / पटना-15, दिनांक-.....2015

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, वित्त विभाग, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग एवं सचिव, विधि विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

६६

ज्ञापांक-3/एम— 19/2015 साठोप्र० 6.16। पटना-15, दिनांक-24.4.2015
प्रतिलिपि— सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला
पदाधिकारी/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिपार्ड,
पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2015
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।